राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 39/2016

श्रीमती सवित्री अटल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनू, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.01.2016
आदेश की दिनांक : 16.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खंडप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उसकी सेवा की गणना करते हुए प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संविदा के आधार पर अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर हुई उसके पश्चात आदेश दिनांक 01.11.1990 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसे दिनांक 01.05.1989 से नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि से आदेश दिनांक 08.01.2002 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थायीकरण किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि जिन व्यक्तियों को अस्थायी आधार पर नियुक्ति किया गया था, उस संबंध में दिनांक 06.04.1988 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अस्थायी आधार पर नियुक्त शिक्षक प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, लेकिन अपीलार्थी को चयन ग्रेड का लाभ नियुक्ति की तिथि से नहीं दिया जाकर स्थायीकरण की तारीख से दिया गया। इस तरह का समान विवाद इन्द्र सिंह राठौड़ बनाम निदेशक, प्राथमिक शिक्षा और अन्य के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2014 (अनुलग्नक–3) द्वारा निर्णित किया जिसमें यह माना गया कि कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ पाने का हकदार है। अपीलार्थी ने उच्चाधिकारियों से मिलकर प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान प्रदान करने हेतु निवेदन किया, परंतु कोई उचित जवाब नहीं मिला तब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से

दिनांक 12.08.2015 (अनुलग्नक–4) को न्याय की मांग के लिए नोटिस भेजा, लेकिन उस पर कोई निस्तारण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर चयनित वेतनमान नहीं देना अवैद्य, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को नियमित किया जावे कि प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उसकी सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ तथा शेष सभी परिणामी लाभ के साथ भुगतान करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने जो अनुतोष चाहा है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। अपीलार्थी ने नियुक्ति के संबंध में दिनांक 0105.1989 एवं 01.11. 1990 का अंकन किया गया है। वह नियुक्ति संबधित कोई आदेश नहीं है। अपीलार्थी ने 1998 में बीएसटीसी उर्त्तीण कर अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है नियुक्ति की शर्तों एवं विभागीय परिपत्रों के तद्नुसार अपीलार्थी को दिनांक 01.09. 1998 से नियमित किया गया जिसे अपीलार्थी अंगीकार एवं स्वीकार करते हुए विगत 15 वर्षों से विधि अनुसार देय लाभों को आहरित करते हुए आ रही है। अपीलार्थी जिस नजीर का उद्वत प्रस्तुत कर माननीय अधिकरण से अनुतोष लेने का प्रयास किया जा रहा है वह अपीलार्थी के प्रकरण पर किसी भी तौर से लागू नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 20.01.1995 के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई है और विभाग द्वारा विधि अनुसार देय सेवा संबंधित समस्त परिलाभ अंगीकार एवं स्वीकार करते हुए अपीलार्थी द्वारा आहरति किया जाता रहा है। अपीलार्थी की अपील लगभग 15 वर्ष के विलम्ब से पेश होने से पोषणीय नहीं है जो **राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत** (sec-9) Limitation for apeals के प्रावधानों की अनुपालना में उक्त प्रकरण Limitation को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अधिकरण द्वारा विचारण किया जाना न्याय हित में अतिआवश्यक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Special leave to Appeal (civil) 2011 CC 3709/2011डी.सी.नेगी बनाम युनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 07.03.2011 को पारित अभिमत निम्नानुसार हैः–

" Since secation 21[1] is couched in negative form, it is the duty of the Tribunal to first consider whether the application is within limitation, An application can be admitted only if the same is found to have been order is within the prescribed period or sufficient cause is shown for not doing so within the prescribed period and an passed under section 21[3]. In the present case, the Tribunal entertained and

decidedeven adverting to the issue of limitation. Leearned counsel for the petitioner tried to the application ation without explain this omission by pointing out that in the reply filed on behalf of the respondents, no such objecation was raised but we have not felt impressed. in our view, the Tribunal cannot abdicates its duty to act in accordance with the statute under which it is established and the fact that an objection of limitation is not raised by the respondent non applicant is not at all relevant"

अपीलार्थी को संविदा पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 29.07.1986 से निहत किया तदनुसार दिनांक 01.08.1986 को कार्यभार ग्रहण किया तत्पश्चात 1993 से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थायी भर्ती होने से अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 12.01.1993 को समाप्त कर दी गई। अपीलार्थी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालीय का आदेश तद्नुसार अपीलार्थी को सेवा में लिया गया और डीबी याचिका 835/93 में पारित निर्णयानुसार की सेवाएं समाप्त की गई। अपीलार्थी की नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर 20.01.1995 को की जाकर दिनांक 24. 01.1996 तक अनिवार्य प्रशिक्षण बीएसटीसी पूर्ण किये जाने की शर्त का अंकन किया गया जिसे स्वीकार करते हुए अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया है। अपीलार्थी ने बीएसटीसी अनिवार्य प्रशिक्षण वर्ष 1998 में पूर्ण किया तद्नुसार अपीलार्थी की सेवाएं 01.09.1998 के द्वारा नियमित की गई, विधि अनुसार अपीलार्थी नियमितकरण की तिथि से ही सेवा संबंधित परिलाभ प्राप्ति की विधिक अधिकारी है जो अपीलार्थी प्राप्त करती आ रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.07.2011 में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से सेवा गणना कर चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का लाभ प्रदत्त किया जाए उक्तानुसार देय लाभ अपीलार्थी स्वीकार कर आहरित करती आ रही है। अपीलार्थी की सेवाए दिनांक 01.09.1998 के द्वारा नियमित की गई है इसलिए State of Rajasthan Vs. jagadish narain chaturvedi : (2009) 12 SCC 49 held ad hoc empioyees entitled for selection scale form the date of their regular appointment. अनुसार अपीलार्थी नियमित होने की तिथी से ही सेवा संबंधित परिलाभ प्राप्ति की अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा अपील में संलग्न विनिश्चय इस अपील में प्रभावी एवं लागू नहीं होते है क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति ही दिनांक 20.01.1995 के द्वारा हुई है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडनू द्वारा दिनांक 01.08.1986 को पूर्णतया तदर्थ स्थायी सत्र समाप्ति तक के लिए की गई। जिला परिषद नागौर द्वारा दिनांक 01.07.1989 से चयनित कर इनकी सेवाएं दिनांक

01.07.1989 से नियमित की गई है। उक्त तिथी से ही सेवा संबंधित लाभ प्राप्ति की विधिक अधिकारी होने से उक्त अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य है। जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम–17 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है–

> *"Provided that the widow/divorced woman who have been given appointment on the post of teacher for senior teacher after relexing the require qualification of BSTC or BEd shall be regularized from the date they acquire the required qualification of BSTC or BEd at the case may be, they shall also be eligible for grant of study leave for acquiring the qualification of BSTC or BEd."*

इस प्रकार विभाग को उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। अपीलार्थी को भी चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रशिक्षण योग्यता BSTC अर्जित उपरान्त ही दिया गया है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संविदा के आधार पर नियुक्ति दिनांक 20.01.1995 के द्वारा तृतीय श्रेणी के पद पर हुई है और अपीलार्थी ने बीएसटीसी अनिवार्य प्रशिक्षण 1998 में पूर्ण किया तद्नुसार अपीलार्थी की सेवाएं 01.09.1998 के द्वारा नियमित की गई।

जहां तक अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ उसके प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी ने वर्ष 1998 में बीएसटीसी उत्तीर्ण कर अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नियुक्ति की शर्तों एवं विभागीय परिपत्रों के तद्नुसार अपीलार्थी को दिनांक 01.09.1998 से नियमित किया गया। अपीलार्थी ने बीएसटीसी प्रशिक्षण योग्यता वर्ष 1998 में अर्जित की है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी वर्ष 1998 से ही चयनित वेतनमान लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः प्रस्तुत अपील में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य